राष्ट्रीय बीज निगम लीमिटे
(भारत सरकार का - मीनिरत्न व
बीज भवन, पूसा पारि
नई दिल्ल -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dsUnzh; jkT; Qke] ljnkjx<+ ¼jkt-½

फाक्स-**01509-238027**

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2014–15–691 दिनांक–05.01.2015

fufonk@[kqyh cksyh

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में सरसों/तोरिया/तारामिरा की फसल का 823.25 एकड की dVkbZ@xgkbZ हेतू सीलबन्द निविदा व खुली बोली चकवार दिनांक 29.01.2015, 05.02.2015 व 12.02.2015 को सांय 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिन फार्म के अधिकारीयों की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी निविदाये निदेषक केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राषि रूपये 10000/–(दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि ''jk"Vªh; cht fuxe fyfeVsM] ljnkjx<+'' के नाम से सुरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राषि के अतिरिक्त निविदा षुल्क रु200/– का ड्राफ्ट देना होगा। सफल बोली/निविदादाता की धरोहर राषि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 200/–(कर सहित) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/षर्तें की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राषनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होगे।

ukV% & vijkgu 3-00 cts ds ckn dkbZ V.Mj Qkez ugh fn;k tk;sxk o 3-30 cts ds ckn dkbZ Hkh V.Mj Qkez Lohdkj ugh fd;k tk;sxkA cSd [kkrk la[;k o IFSC dksM Hkh iLrqr djuk gksxkA

çca/kd ¼mRiknu½
Ñrs vfr-egkçca/kd ¼Qke½

dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jktLFkku½

क्रमांकः – सर/कृषि/20/14–15–   दिनांकः –06.01.2015

ljlk@rkfj;k @rkjkehjk dh dVkbZ@xgkbZ d fu;e o 'krs

1. टेण्डर के अलावा खुली बोली का भी आयोजन किया जा सकता है।
2. बोलीदाता को धरोहर राषि रूपये 10000/– प्रतिलॉट बैंक ड्राफ्ट द्वारा ''jk"Vh; cht fuxe fyfeVsM] ljnkjx<'' के नाम से सुरतगढ में देय हो जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी तथा असफल बोलीदाता को जमा की गई धरोहर राषि चैक द्वारा वापिस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सरसों/तोरिया /तारामीरा की कटाई व इकठ्ठा करने के लिए ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
4. फसल की कटाई के बाद पहले छोटी–छोटी ढेरियां लगानी होंगी तथा सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार 3 या 4 बड़े ढेर लगाने होंगे।
5. सरसों/तोरिया /तारामीरा की गहाई (थ्रेसिंग) ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। नीरा/स्ट्रा ठेकेदार का होगा, थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकठ्ठा होने के बाद 08–10 दिनों में ही पूरा करना होगा।
6. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
7. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेषानुसार ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा।
8. यदि ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना ठेकेदार को देना होगा।
9. जो भी व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा होने तक काम करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तो बकाया कार्य उसके खर्चे पर किसी और व्यक्ति या पार्टी से करवाया जायेगा एवं उसकी धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी।
10. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर फार्म निदेषक का निर्णय अंतिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
12. इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है, तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवष्यक रुप से देना होगा।
13. ठेकेदार को कुल रकम की 25% धनराषि टेण्डर की समाप्ति के तुरन्त बाद या अगले दिन बैंक में जमा करवानी होगी, अन्यथा उस पर 25% की दर से ब्याज लगेगा एवं बाकी 75% धनराषि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवानी होगी, जो कि ठेकेदार/पार्टी को देना होगा।
14. निविदा कार्य को करने हेतु उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु. 100/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
15. यदि कोई ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के बाद छोड़ देता है तो पुनः नीलामी प्रथम ठेकेदार की जिम्मेदारी पर होगा। यदि पुनः नीलामी में कम दर आती है तो प्रथम दर के अंतर की राषि प्रथम ठेकेदार को भुगतान करना होगा।

çca/kd ¼mRiknu½
Ñrs funs'kd

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

V.Mj Qkel

fnukad%&29-01-2015
dzekad&------------------

lj lks@rkfj;k @rkjkehjk dh dVkbZ@xgkbZ vkfn dk;Z ds fy, रबी 2014–15

dk;Z dk fooj.k				
खेतो में खडी फसल को हाथ से काटना, एकत्रित करना, स्वयं की कम्बाईन/थ्रेसर में झोकना, दाने को फार्म की ट्राली/ ट्रक में भरना, खलियान साफ करना व इसके वदले में तुडी/स्ट्रा ले जाना।			दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	दर प्रति एकड़ फार्म से लूँगा।
खण्ड़ न0.	लॉट व चक न0	सरसों/तारामीरा		
खण्ड–4	1@39 ih-ch-,u-	101.0		
	2@44 ih-ch-,u-	32.5		
	3@45 ih-ch-,u-	65.0		
	4@46 ih-ch-,u-	114.5		
	;ksx	**313.00**		
खण्ड–5	5@47,@49,	108.0		
	6@51,@ch ih-ch-,u-	131.75		
	7@52 ih-ch-,u-	125.00		
	;ksx	**364.75**		
	dqy ;ksx	**677.75**		
		तोरिया		
खण्ड–4	8@40 ih-ch-,u-	70.5		
खण्ड–5	9@47ch@49ch	75.0		
	;ksx	**145.5**		
	dqy ;ksx	**823.25**		

दिनांकः – ....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम :– ....
पिता का नाम :– ....
गांव व पोस्ट :– ....
जिला :– ....
फोन नं. :– ....
iSu ua-@ fVu u0 %& ------------------------------------

dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jktLFkku½

क्रमांकः — सर/कृषि/20/14—15— दिनांकः — 2015

ljlk@rkfj;k @rkjkehjk dh dVkbl@xgkbl dk fu;e o 'krl

1. टेण्डर के अलावा खुली बोली का भी आयोजन किया जा सकता है।
2. बोलीदाता को धरोहर राषि रूपये 10000/— प्रतिलॉट बैंक ड्राफ्ट द्वारा ''jk"Vh; cht fuxe fyfeVM] ljnkjx<'' एवं सुरतगढ के नाम देय हो के साथ देनी होगी, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी तथा असफल बोलीदाता को जमा की गई धरोहर राषि चैक द्वारा वापिस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सरसों/तोरिया /तारामीरा की कटाई व इकठ्ठा करने के लिए ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
4. फसल की कटाई के बाद पहले छोटी—छोटी ढेरियां लगानी होंगी तथा सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार 3 या 4 बड़े ढेर लगाने होंगे।
5. सरसों/तोरिया /तारामीरा की गहाई (थ्रेसिंग) ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। नीरा/स्ट्रा ठेकेदार का होगा, थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकठ्ठा होने के बाद 08—10 दिनों में ही पूरा करना होगा।
6. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
7. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेषानुसार ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा।
8. यदि ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना ठेकेदार को देना होगा।
9. जो भी व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा होने तक काम करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तो बकाया कार्य उसके खर्चे पर किसी और व्यक्ति या पार्टी से करवाया जायेगा एवं उसकी धरोहर राषि जब्त कर ली जायेगी।
10. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर फार्म निदेषक का निर्णय अंतिम होगा, जिसे ठेकेदार को मानना होगा।
12. इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है, तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवष्यक रुप से देना होगा।
13. ठेकेदार को कुल रकम की 25% धनराषि टेण्डर की समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करवानी होगी, अन्यथा उस पर 25% की दर से ब्याज लगेगा एवं बाकी 75% धनराषि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवानी होगी, जो कि ठेकेदार/पार्टी को देना होगा।
14. निविदा कार्य को करने हेतु उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु. 100/— के नॉन—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
15. यदि कोई ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के बाद छोड़ देता है तो पुनः नीलामी प्रथम ठेकेदार की जिम्मेदारी पर होगा। यदि पुनः नीलामी में कम दर आती है तो प्रथम दर के अंतर की राषि प्रथम ठेकेदार को भुगतान करना होगा।

çcU/kd ¼mRiknu½
Nr! fun'kd